

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठारीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 230/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/297)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जगदेव सिंह उर्फ जग्गा सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति तरखान निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 14.07.2024

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 10.06.2024

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरिंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/41 के मुर्ब्बा नम्बर 20, 27, 32, 33 की कुल 16.690 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 163/8345 हिस्सा भूमि दर्ज है। उक्त खाता में वादी का नाम जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम जगदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केंद्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरिंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/41 के मुर्ब्बा नम्बर 20, 27, 32, 33 की कुल 16.690 हैक्टेयर भूमि में वादी के अंकित नाम जगा सिंह के स्थान पर जगदेव सिंह उर्फ जगा सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 1970 दिनांक 09.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 37 एफ के खाता संख्या 48 में 0.326 हैक्टेयर भूमि जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि जगा सिंह एवं जगदेव सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। जगदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह को ग्राम में जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता है।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरिंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या



Handwritten signature


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

48/41 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत अरायण के तस्दीक प्रमाण की प्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, पारापोर्ट की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरिंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/41 के मुरब्बा नम्बर 20, 27, 32, 33 की कुल 16690 हैक्टेयर भूमि में वादी के अंकित नाम जगा सिंह के स्थान पर जगदेव सिंह उर्फ जगा सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति में नाम जगदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि जगा सिंह एवं जगदेव सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जगदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह को ग्राम में जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत अरायण के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी जगदेव सिंह व जगा सिंह इन दोनो नामों से जाना पहचाना जाता है। जगदेव सिंह व जगा सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत अरायण के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—


4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरिंगावाली, भू. अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/41 के मुरब्बा नम्बर 20, 27, 32, 33 की कुल 16.690 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के स्थान पर जगा सिंह उर्फ जगदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जगा हो।




{श्यामराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला, श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


{श्यामराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पटवेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला, श्रीगंगानगर

अतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्बा दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जगदेव सिंह उर्फ जगा सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 230/2023

निर्णय दिनांक :- 10.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 37 एफ, पटवार हल्का धरिंगावाली, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 48/41 के मुरब्बा नम्बर 20, 27, 32, 33 की कुल 16.690 हैक्टेयर भूमि में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम जगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह के स्थान पर जगा सिंह उर्फ जगदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुदवई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 10.06.2024

क्रमांक: रीडर/2024/274

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

